Government of National Capital Territory of Delhi DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

B- Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

SCHOLARSHIP/MERIT SCHOLARSHIP TO SC/ST/OBC/MINORITIES

STUDENTS STUDYING IN CLASS I TO XII (2015-16)

Application are invited from eligible students (as per criteria given below) for providing financial assistance to the students to pursue their studies.

1.CONDITION FOR SCHOLARSHIP

c) Family income limit is not applicable in case of SC/ST students but family income should not exceed form Rs. 2.00 lac per annum in case of

(d) 1. Self attested copy of Caste Certificate issued in the Name of Student/Father (in respect of sc/ST/OBC) & affidavit (in non-Judicial stamp paper of Rs. 10/- with 5/- Rs. Revenue stamp) (in respect of Minority students) by parent/guardian declaring his son/daughter

(e) A students is allowed to avail the scholarship either under the State plan scheme or Centrally sponsored scholarship Scheme which

ever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of institutions by mode of declaration. The bank account should be in the name of the students (joint bank account with parent/guardian is also permissible).

60% and above

60% and above

(a) The application form can be downloaded form the website of the Department i.e www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

Above 70%

2. Self attested copy of EPIC Card/Adhar Number, Ration card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD

% OF MARKS IN PREVIOUS CLASSES

No percentage of Marks is required

55% and above but below 60%

55% and above but below 60 %

Eligible students studying in schools affiliated to south Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/ Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy of concerned officer at 15th

Eligible students studying in schools affiliated to North Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy of concerned officer

(d) Eligible students studying in schools affiliated to East Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy of concerned officer at 419, Udyog

(e) Eligible students studying in schools affiliated to NDMC may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed performa as well as soft copy to Dy. Education Officer (General), Deptt. of Education, Palika

(f) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Dte. Of Education may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed performa as well as soft copy to Dy. Director

(g) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Delhi cantonment Board may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the office of Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board,

(h) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy in the office of Assistant commissioner of Kendriya Vidalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus new delhi who is the nodal officer in the Eligible students studying in Recognized Public schools, national Open Schools and other schools approved by Government but not falling under any of the category above may submit their forms to head of School/Principal who in trun may submit the consolidated proposal in the prescribed performa as well as soft copy along with the complete application forms along with relevant documents to Deputy Director (SC/ST/OBC/MIN), Dept. for the Welfare of SC/ST/OBC/MIN, B-block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P.Estate, New

Note:- The schools mentioned above at (b) to (f) will keep the application of the students and other supporting documents such as self attested copy of caste Certificate, previous class marks sheet (where ever applicable), self declaration, affidavit etc. may be retained by

Individual applications shall not be entertained. Head of school must ensure that no eligible SC/ST/OBC/MIN students is left out and consolidated list of students in the prescribed performa should be sent to concerned office indicated above. The Nodal officer of the concerned department/organization should forward the complete proposal (in soft copy as well as hard copy as per prescribed performa which may be downloaded form the website of department) to Deputy Director (SC/ST/OBC/MIN), B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P.Estate, New Delhi-110002 on or before the closing date. Application/Proposals received after the last date will be rejected summarily.

Format of Application Form, consolidated statement (to be filled by Head of School, concerned), self Delearation of family income (for OBCs and Minority)and Electronic Clearing Service performa in respect of students may be downloaded form the Departments website.

* Applicant and form attesting authority/school authority, who gives false and fabricated documents/information will be prosecuted.

55% and above but below 70

SCHOLARSHIP AMOUNT (In Rs.)

Rs. 600/ Rs. 720/ -

Rs. 1620/ -

Rs. 2040/

Rs. 3000/

Rs. 4500/

Principal secretary

(Department for The welfare of SC/ST/OBC/MIN.)

Rs. 1000/ -P.A

(a) The Scholarship will be given to the students pursuing studies (Class 1st to 12th for SC/ST/MIN, and class 6th to 12th for OBC students)

from Government/Govt. Aided/Recognized/Local bodies i.e. MCD/NDMC and DCB, Kendriya Vidalaya and recognized public schools. To be eligible, no percentage of marks required for SC/ST/MIN. students (Class 1st to 8th). For OBC students class 6th to 12th and for

SC/ST/MIN. students of class 9th to 12th minimum 55% of marks is required in previous class.

CLASSES

I to VIII

IX to X

XI to XII

Kendra, Sansad Marg, new delhi who is the Nodal officer in the matter.

Head of school for their record which may be checked by this Department any time.

For further details and application form please log on the website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

On the forwarding letter the name of scheme should be clearly indicated.

(Planning), old patrachar Building Timarpur. New Delhi who is the Nodal officer in the matter.

VI to VIII

and Domicile issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized banks.

belongs to particular Minority Community.

2.RATE OF SCHOLARSHIP

CATEGORY

SC/ST/OBC

SC/ST/OBC/MIN

SC/ST/OBC/MIN

Delhi Cantonment Delhi-110010.

4.OTHER CONDITION

DIP/0745/2015-16

www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

floor, Civic Centre, Minto Road, New DELHI.

at 15th floor, Civic Centre, Minto Road, New delhi.

Sadan, Patparganj institutional Area. New Delhi-91.

Delhi-110002 immediately or latest by 20.09.2015.

S. NO

1.

2.

3

4.

3. How to apply

OBC/MIN. in case of OBC/MIN. students self declaration of family income in the prescribed format is required.

DIRECTORATE OF EDUCATION/KENDRIYA VIDYALAYA/NATIONAL OPEN SCHOOL/SCHOOLS AFFILIATED TO MCD/DELHI CANTONMENT BOARD.

Closing Date: 20.09.2015 ATTENTION: SC/ ST/ OBC/ MIN.STUDENTS OF CLASS I TO XII OF ALL GOVERNMENT/ AIDED/ RECOGNIZED PUBLIC SCHOOL AFFILIATED TO

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फोनः 23379511—12 फैक्सः 23379513 वेबसाइटः www.scstwelfare.delhigovt.nic.in ई—मेलः ddscstdel@hub.nic.in

के एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र या राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक की प्रति स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।

उसे घोषणा की विधि द्वारा संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से प्रदान करने वाले प्राधिकरण को इसकी जानकारी देनी चाहिए। छात्र के नाम पर बैंक खाता (माता पिता 🗡 अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की अनुमति भी है) होना चाहिए 🛭

कक्षा

I 社 VIII

VI से VIII

IX 社 X

XI से XII

15वां तल, सिविक सेंटर मिटो रोड, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें।

नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(क) आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

अंक सूची, स्वयं घोषणा, शपेथ पत्र आदि अपने रिकॉर्ड के लिए रखें, जिन्हें इस विभाग द्वारा किसी समय जांचा जा सकता है।

समाशोधन सेवा प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं | विस्तृत विवरण और आवेदन पत्र के लिए कृपया वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर लॉग ऑन करें।

के रूप में यह घोषणा कि उनका बेटा / बेटी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष का है।

आमंत्रित किए जाते हैं 1. छात्रवत्ति के लिए शर्ते

2. छात्रवृत्ति की दर :

श्रेणी

अ. पि. वर्ग

के नोडल अधिकारी हैं।

मामले के नोडल अधिकारी हैं।

मामले के नोडल अधिकारी हैं।

लिखा होना चाहिए।

किया जाएगा। DIP/0745/15-16

अन् जाति / अन् जनजाति / अ.पि.वर्ग

अनु. जाति / अनु. जनजाति /

अनु. जाति / अनु. जनजाति /

अ.पि.वर्ग / अल्पसंख्यक

अ.पि.वर्ग / अल्पसंख्यक

क्र स

पात्र छात्रों को उनका अध्ययन जारी रखने में सक्षम बनाने हेत योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उनसे (नीचे दिए गए मानदण्डों के अनुसार) आवेदन

ह्यान दें : सभी सरकारी/ सहायता प्राप्त/ शिक्षा निदेशालय के साथ संबद्ध मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों/ केन्द्रीय विद्यालय/ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/ दिल्ली नगर निगम/ दिल्ली केंटोनमेंट बोर्ड के साथ संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अ. पि. वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र

अध्ययनरत छात्रों (अनु. जाति / अनु. जन जाति / अल्प संख्यकों के लिए कक्षा 1 से 12 तथा अ. पि. वर्ग के लिए कक्षा 6 से 12) को छात्रवृत्ति दी जाएगी |

2.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अ. पि. वर्ग / अल्प संख्यक छात्रों के मामले में पारिवारिक आय की खर्य घोषणा निर्दिष्ट फॉर्मेट में आवश्यक है।

कक्षा 1 से 12 (2015–16) में अध्ययनरत अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ.पि.वर्ग / अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति / योग्यता छात्रवृत्ति

सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / मान्यता प्राप्त / स्थानीय निकायों अर्थात एमसीडी / एनडीएमसी और डीसीबी, केंद्रीय विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त / स्कूलों में

अनु. जाति / अनु. जन जाति / अत्य संख्यक छात्रों (कक्षा 1 से 8) के लिए पात्रता हेतु अंकों के किसी प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है | अ. पि. वर्ग के छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक तथा अनु. जाति / अनु. जन जाति / अल्प संख्यक छात्रों के लिए कक्षा 9 से 12 तक पिछली कक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की

पारिवारिक आय सीमा अन, जाति 🖊 अन, जन जाति छात्रों के मामले में लाग नहीं है, कित अ, पि, वर्ग 🖊 अल्प संख्यक छात्रों के मामले में पारिवारिक आय

1. अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में उसके माता पिता 🖊 अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र पर (10 ₹ मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में 5 ₹ के रेवन्यू स्टैम्प के साथ)

2. एपिक कार्ड / आधार नंबर, राशन कार्ड, एमटीएनएल का लेंडलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली

एक छात्र को राज्य योजना स्कीम या केंद्रीय रूप से प्रायोजित छात्रवत्ति स्कीम के तहत छात्रवत्ति पाने की अनमति होगी, इनमें से जो उसके लिए लाभकारी है तथा

60 प्रतिशत या अधिक

60 प्रतिशत या अधिक

70 प्रतिशत से अधिक

🤕 दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख 🖊 प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संबंधित अधिकारी,

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/ प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संबंधित अधिकारी, 15वां तल, सिविक सेंटर मिटो रोड, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम से संबद्घ विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संबंधित अधिकारी, and प्रदेश उद्योग सदन, पटपड़गज इस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली—91 के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें। नई दिल्ली नगर पालिका से संबद्घ विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो उप शिक्षा अधिकारी (सामान्य), शिक्षा विभाग, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले

सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा निदेशालय से सबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव संबंधित जिले में जमा करें। जिले के उप निदेशक (योजना) ओल्ड पत्राचार बिल्डिंग, तिमारपुर,

(छ) दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से सबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट, दिल्ली – 110010 के कार्यालय में निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस

केन्द्रीय विद्यालय संगठन से सबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख 🖊 प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र, जेएनय परिसर, नई दिल्ली के कार्यालय में निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस

मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल और सरकार द्वारा अनुमोदित किन्तू उपरोक्त किसी श्रेणी में न आने वाले अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो उप निदेशक (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक), अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बी—ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली—110002 के पास संगत दस्तावेजों सहित सभी पूर्ण आवेदनों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र में समेकित प्रस्ताव और इसकी सॉफ्ट प्रति अधिक से अधिक 20.09.2015 तक जमा करें। टिप्पणी : उपरोक्त (ख) से (च) तक उल्लिखित स्कूलों के प्रमुख छात्रों के आवेदन और अन्य समर्थक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, पिछली कक्षा की

वैयक्तिक आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विद्यालय के प्रमुख को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई पात्र अनु, जाति / अनु, जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक छात्र छूट नहीं जाना चाहिए और छात्रों की समेकित सूची निर्दिष्ट प्रपत्न में उपरोक्त बताए गए संबंधित कार्यालय में भेजी जानी चाहिए। संबंधित विमाग / संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा संपूर्ण प्रस्ताव (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रीत दिए गए फॉर्मेंट के अनुसार अलग से भेजी जाए जिसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) उप निदेशक (अनु. जाति / अनु. जनेजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक), दूसरा तल, बी—ब्लॉक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नेई दिल्ली — 110002 के पास समापन तिथि को या इससे पहले अग्रेषित करना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन / प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अग्रेषण पत्र पर योजना का नाम स्पष्ट रूप से

आवेदन पत्र का प्रारूप, समेकित विवरण (संबंधित विद्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए) पारिवारिक आय की स्वयं घोषणा तथा विद्यालय 🖊 छात्र के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक

*आवेदक और प्रपत्र का सत्यापन करने वाले प्राधिकारी 🖊 विद्यालय के प्राधिकारी, जो झूठे और जाली दस्तावेज 🖊 जानकारी देते हैं, उन्हें अभियोजित

पिछली कक्षाओं में अको का प्रतिशत

अंकों के प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है

55 प्रतिशत या अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम

55 प्रतिशत या अधिक किन्त् 60 प्रतिशत से कम

55 प्रतिशत या अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम

छात्रवृत्ति की राशि (₹ में)

₹ 1000 प्रति वर्ष

₹ 600

₹ 720

₹ 1620

₹ 2040

₹ 3000

₹ 4500

(अजा / अजजा / अपिव / अल्पसंख्यक)